

# यूटीयू के कुलपति ने निजी शिक्षण संस्थानों में मारा छापा, छात्र नदारद

उत्तर उजाला ब्यूरो

देहरादून। वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के कुलपति प्रो. ओंकार सिंह ने शुक्रवार दोपहर कई निजी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इनमें रुड़की क्षेत्र में पड़ने वाले रुड़की कॉलेज ऑफ फार्मसी (आरसीपी) जिसमें विश्वविद्यालय से बी.फार्मा, एम.फार्मा, रुड़की कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट (आरसीएम) में एमबीए और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की (आईटीआर) में बी. टैक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। कुलपति डा.ओंकार सिंह ने जब इन तीनों संस्थानों में बी.फार्मा व बी.टेक तथा एमबीए पाठ्यक्रम की कक्षाओं का निरीक्षण किया तो कक्षाओं में एक भी छात्र उपस्थित नहीं थे। यह देख कुलपति हैरान रह गये। इस सम्बन्ध में कुलपति ने जब मैनुअल उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया तो रजिस्टर में फरवरी, 2024 के बाद की किसी भी छात्र की उपस्थिति का रिकार्ड अंकित नहीं पाया गया। तीनों संस्थानों के निदेशकों से प्रश्न किया गया कि छात्र-छात्राओं की कक्षाओं में उपस्थिति क्यों नहीं है तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इन

- ◆ आरसीपी, आरसीएम व आईटीआर में कक्षाओं में नहीं मिले एक भी छात्र
- ◆ फरवरी के बाद की किसी भी छात्र की उपस्थिति का रिकार्ड नहीं मिलने पर जतायी नाराजगी
- ◆ शिक्षक भी गायब, कालेजों के प्रबंधन को दी चेतावनी

संस्थानों ने एक कदम और आगे बढ़कर फर्जी तरीके से उन छात्र-छात्राओं की उपस्थिति भी विश्वविद्यालय के ऑनलाइन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर दर्ज करा दी, जिनका मैनुअल उपस्थिति पंजिकाओं में फरवरी 2024 के बाद कक्षाओं में उपस्थिति का रिकार्ड ही अंकित नहीं है। शिक्षकों के बारे में पूछा गया तो कुछ ही मौजूद थे। औचक निरीक्षण के दौरान तीनों संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था की खामियों को देख कर कुलपति ने सख्त नाराजगी जताते हुए उनसे कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नहीं होने के संबंध में लिखित नोट मांगा। चेतावनी दी कि 15 मई, 2024 तक कक्षाएँ संचालित करने की अंतिम तिथि निर्धारित होने

के दृष्टिगत सभी संस्थानों को इस तिथि तक कक्षाएँ छात्रहित में संचालित करना अनिवार्य है। इस प्रकार कक्षाओं में छात्रों की अनुपस्थिति से उन्हें 20 मई 2024 से आरम्भ हो रही विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि छात्रों की कम उपस्थिति के कारण उन्हें परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन संस्थानों की होगी। इस तरह से शैक्षणिक व्यवस्थाओं को तार-तार करने का अधिकार संस्थानों को नहीं दिया जा सकता है। साथ ही संस्थानों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में अनुपस्थिति के बारे में भी संस्थान निदेशकों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।